ओम प्रकाश एवं अन्य
बनाम
झारखंड राज्य सचिव, गृह विभाग, रांची-1 एवं अन्य
(आपराधिक अपील संख्या 1491/2012 आदि)
26 सितंबर, 2012
[आफताब आलम एवं रंजना प्रकाश देसाई, न्यायाधीशगण]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973:

धाराएँ 482 और 197 - पुलिस अधिकारियों के खिलाफ शिकायत - फर्जी मुठभेड़ में हत्या का आरोप - आरोपी/पुलिस अधिकारियों का मामला कि मुठभेड़ वास्तविक थी - एक नागरिक द्वारा मृतक सहित बदमाशों के खिलाफ मुठभेड़ की तारीख पर उसके घर पर गोलीबारी करके उसे धमकाने के लिए एफआईआर दर्ज कराई गई - एक आरोपी/पुलिस अधिकारी ने भी मुठभेड़ का विवरण देते हुए एफआईआर दर्ज कराई - शिकायतकर्ता की शिकायत में एनएचआरसी ने सीआईडी जांच पर भरोसा करते हुए माना कि मुठभेड़ वास्तविक थी - मजिस्ट्रेट ने आरोपी के खिलाफ मामले का संज्ञान लिया और आपराधिक कार्यवाही शुरू की - आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका - अभियोजन से पहले मंजूरी के अभाव के आधार पर एक आरोपी (पुलिस अधिकारी) के संबंध में याचिका खारिज कर दी गई - अन्य अधिकारियों (अधिकारियों के अलावा) के संबंध में इस आधार पर खारिज नहीं किया गया कि उन्होंने धारा 197(3) सीआरपीसी के तहत अधिसूचना पेश नहीं की। यह दिखाने के लिए कि उन्हें अभियोजन से संरक्षण प्राप्त है - शिकायतकर्ता और पुलिस अधिकारियों (अधिकारियों के अलावा) द्वारा अपील -मामले के तथ्यों से पता चलता है कि यह झूठी मुठभेड़ का मामला नहीं है - पुलिस अधिकारी धारा 197 के तहत संरक्षण के हकदार थे क्योंकि जिन कृत्यों की शिकायत की गई है वे उनके आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं - बिहार राज्य द्वारा जारी दिनांक 16.5.1980 की अधिसूचना अधिकारियों के अलावा अन्य पुलिस कर्मियों को भी अभियोजन से संरक्षण प्रदान करती है - पुलिस कर्मियों के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही रद्द की जाती है।

धारा 482 के तहत शक्ति - प्रयोग - माना: धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए किया जाना चाहिए, न कि वैध अभियोजन को बाधित करने के लिए।

धारा 197 - अभियोजन के खिलाफ संरक्षण - उपलब्धता - कब - माना: संरक्षण केवल तभी उपलब्ध है जब लोक सेवक द्वारा किया गया कथित कार्य उसके आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन से उचित रूप से जुड़ा हो - अपने कर्तव्य से अधिक कार्य करना लोक सेवक को संरक्षण से वंचित करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं होगा - जब तक कि यह स्थापित करने के लिए निर्विवाद सबूत रिकॉर्ड पर न हों कि लोक सेवक की कार्रवाई अक्षम्य, वैध और प्रतिशोधात्मक है, उन्हें अभियोजन के अधीन नहीं किया जा सकता है।

धारा 197 - अभियोजन के खिलाफ संरक्षण - यह पता लगाना कि मंजूरी के खिलाफ है या नहीं। धारा 197 आवश्यक है - निर्णयः इस प्रकार के प्रश्न का पता मामले की प्रकृति के आधार पर कार्यवाही के किसी भी चरण में लगाया जा सकता है - न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर मामले की शुरुआत में ही प्रश्न का पता लगाने पर रोक नहीं है।

स्क्रैप के एक व्यापारी ने 1.7.2004 को एक एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि उस दिन मोटरसाइकिल सवार कुछ बदमाशों ने उसके कार्यालय सह आवास पर गोलीबारी की, फिरौती की मांग पूरी करने की धमकी दी और भाग गए।

डीएसपी (सीआरएल अपील संख्या 1492/12 में प्रतिवादी) ने भी 2.7.2004 को एक एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें कहा गया कि उन्हें गोलीबारी की घटना के बारे में जानकारी मिली, पुलिस दल आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए निकल पड़ा। उन्होंने उनका पता लगाया और उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। इसके बजाय बदमाशों ने पुलिस पर गोलीबारी शुरू कर दी। जब पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, तो चार बदमाश मारे गए।

आपराधिक अपील संख्या 1492/12 में अपीलकर्ता ने 27. 7 .2004 को पुलिस अधिकारियों (आपराधिक अपील संख्या 1492/12 में प्रतिवादियों और आपराधिक अपील संख्या 1491/12 में अपीलकर्ताओं सहित) के खिलाफ शिकायत दर्ज की, जिसमें आरोप लगाया गया कि 1.7.2004 को उन्होंने उसके बेटे (मृतक) और तीन अन्य को फर्जी मुठभेड़ में मार डाला। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने शिकायत में आरोपित अपराध का संज्ञान लिया और आरोपियों के खिलाफ प्रक्रिया जारी की। शिकायतकर्ता ने इस मामले के बारे में एनएचआरसी में भी शिकायत दर्ज की, जिसने सीआईडी द्वारा जांच का निर्देश दिया। जांच रिपोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि मुठभेड़ वास्तविक थी। एनएचआरसी ने भी रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया।

आरोपी व्यक्तियों ने आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए धारा 482 सीआरपीसी के तहत याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने आरोपी-पुलिस अधिकारी (आपराधिक अपील संख्या 1492 में प्रतिवादी) की याचिका को इस आधार पर स्वीकार कर लिया कि धारा 197 सीआरपीसी के तहत आवश्यक मंजूरी प्राप्त नहीं की गई थी और उसके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी गई थी। उच्च न्यायालय ने अन्य पुलिस कर्मियों (पुलिस अधिकारी के अलावा) की याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि धारा 197 (3) सीआरपीसी के तहत कोई अधिसूचना पेश नहीं की गई थी, जिससे यह पता चले कि उन्हें अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य करने या कार्य करने का दावा करने के दौरान किए गए किसी भी कथित अपराध के संबंध में अभियोजन से संरक्षण प्राप्त था। इसलिए शिकायतकर्ता के साथ-साथ पुलिस अधिकारियों द्वारा वर्तमान अपील।

शिकायतकर्ता ने तर्क दिया कि उसके बेटे की हत्या फर्जी मुठभेड़ में की गई थी, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि उसकी छाती पर चोट के निशान थे, जो यह दर्शाते हैं कि गोली नजदीक से चलाई गई थी और मृतक के नाखून काले हो गए थे; पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी नहीं की गई थी; शव उन्हें नहीं सौंपा गया था; पुलिस डायरी में मुठभेड़ के

दौरान पुलिस की गतिविधियों का उल्लेख नहीं है; पुलिस दल के किसी भी सदस्य को चोट नहीं आई; कोई विश्वसनीय निजी गवाह नहीं था; चूंकि पुलिसकर्मी निर्मम हत्या के दोषी थे, इसलिए सीआरपीसी की धारा 197 के तहत अभियोजन से पहले मंजूरी की आवश्यकता नहीं थी; और फर्जी मुठभेड़ के बारे में सवाल पर आरोप तय करने से पहले केवल शिकायत और गवाही के आधार पर विचार किया जाना चाहिए और जब पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आरोप लगाने योग्य सबूत मौजूद हों तो अदालत द्वारा पेश की गई सामग्री पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

शिकायतकर्ता द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए और पुलिस अधिकारियों द्वारा दायर अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने

निर्णय: 1. अपीलकर्ता पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही रद्द न करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया कारण अर्थात् धारा 197(3) सीआरपीसी के तहत कोई अधिसूचना प्रस्तुत नहीं की गई थी, जो उन्हें अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य करने या कार्य करने का दावा करने के दौरान किए गए किसी भी कथित अपराध के संबंध में अभियोजन से बचाती हो, गलत है। बिहार राज्य द्वारा जारी दिनांक 16/5/1980 की अधिसूचना धारा 197 सीआरपीसी की उप-धारा (2) के संरक्षण को पुलिस बल के सभी सदस्यों तक बढ़ाती है क्योंकि इसमें अधिकारी और पुरुष दोनों शामिल हैं। [पैरा 8] (139-8-डी]

2.1. यह अनुमान लगाना संभव नहीं है कि पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी इसलिए नहीं की गई क्योंकि पुलिस कुछ दबाना चाहती थी। मजिस्ट्रेट ने जांच की। सीआईडी ने पूरी जांच की और अपनी रिपोर्ट पेश की जिसमें कहा गया कि यह एक वास्तविक मुठभेड़ थी। एनएचआरसी भी पोस्टमार्टम से संतुष्ट था। यहां तक कि इस न्यायालय ने भी संबंधित दस्तावेजों जैसे एफआईआर, पोस्टमार्टम नोट्स, जांच रिपोर्ट, जब्ती ज्ञापन और एफएसएल रिपोर्ट के अंशों की स्वतंत्र रूप से जांच की है, और उसका मानना है कि यह फर्जी मुठभेड़ का मामला नहीं है। इसलिए शिकायतकर्ता का यह मामला खारिज किया जाता है कि पुलिस फर्जी मुठभेड़ में मृतक की निर्मम हत्या करने की दोषी है। [पैरा 28] (155-सी-डी)

2.2. जब्ती ज्ञापन से पता चलता है कि अपराधियों ने मोटर साइकिल का इस्तेमाल किया था और वे घातक आग्नेयास्त्रों से लैस थे। अपराध स्थल पर तीन मोटर साइकिलें पाई गईं। अपराधियों द्वारा इस्तेमाल किए गए आग्नेयास्त्र विदेशी निर्मित थे। इस जब्ती ज्ञापन की सत्यता पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है क्योंकि पुलिस के लिए इस तरह का दृश्य गढ़ना और ऐसे हथियार लगाना मुश्किल है।[पैरा 16) [147-ए-बी]

2.3. दोनों एफआईआर से यह स्पष्ट है कि मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने घातक हथियारों से लैस होकर व्यवसायी के घर पर हमला किया था, जिसने शिकायत दर्ज कराई थी। सूचना मिलने पर पुलिस तंत्र हरकत में आ गया था। पुलिस उपाधीक्षक (प्रतिवादी अभियुक्त) अपने दल के साथ अपराधियों का पता लगाने के लिए अपने कार्यालय से निकले। वे अपराधियों का पता लगा पाए। उन्होंने अपराधियों से आत्मसमर्पण करने को कहा। अपराधियों ने आत्मसमर्पण करने के बजाय उन पर गोलियां चला दीं।

पुलिस को खुद को बचाने और अपराधियों को पकड़ने के लिए जवाबी हमला करना पड़ा, जो उनका कानूनी कर्तव्य था और इस जवाबी हमले में चार अपराधियों को गोली लगी और वे उन चोटों के कारण दम तोड़ गए। गोलीबारी में चार अपराधियों की मौत की घटना के बाद व्यवसायी के घर पर उनके द्वारा किए गए हमले और पुलिस कर्मियों पर भी हमला हुआ। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपराधी फिरौती वसूलने के लिए व्यवसायी के घर पर हमला करने के मिशन पर निकले थे। घटनास्थल पर पड़े मिले हथियारों से ऐसा प्रतीत होता है कि अपराधी अपराध की दुनिया में उतर आए थे और नौसिखिए नहीं थे। अपराधियों का पिछला रिकॉर्ड इस निष्कर्ष का समर्थन करता है। [पैरा 17] [147-सी-एफ)

2.4. इस मामले से संबंधित शिकायत पर एनएचआरसी ने सीआईडी को जांच करने का निर्देश दिया। सीआईडी ने जांच की और अपनी रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट से पता चलता है कि जांच अधिकारी ने मृतक के भाई और दो स्वतंत्र गवाहों के बयान दर्ज किए, जिन्होंने पुष्टि की है कि गोलीबारी की घटना हुई थी। जांच अधिकारी ने जब्ती ज्ञापन के गवाहों के बयान भी दर्ज किए। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि मजिस्ट्रेट (कानून और व्यवस्था) ने घटनास्थल पर आकर जांच रिपोर्ट तैयार की। जांच रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोरेंसिक प्रयोगशाला रिपोर्ट, स्वतंत्र गवाहों के बयान, जिस व्यवसायी के घर पर हमला हुआ था, उसके बयान, मृतक के भाई के बयान और मृतक के पिछले घटनाक्रम और अन्य परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, रिपोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि मुठभेड़ वास्तविक थी। इस तथ्य के बारे में कोई विवाद नहीं है कि एनएचआरसी ने इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और यह भी निष्कर्ष निकाला कि यह फर्जी मुठभेड़ का मामला नहीं था। [पैरा 21] [151-0, ई-एफ; 152-डी-ई]

2.5. उप पुलिस अधीक्षक द्वारा दायर हलफनामे और उसके साथ संलग्न दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता के दामाद के लिखित अनुरोध पर मृतक का शव मृतक के भाइयों की उपस्थिति में उन्हें सौंप दिया गया था। अंत में मृतक के परिवार के सदस्यों द्वारा शव का अंतिम संस्कार किया गया। मृतक के बहनोई द्वारा दिए गए आवेदन पर मृतक के भाइयों ने प्रति हस्ताक्षर किए हैं। इस आशय की एक रसीद उनके द्वारा पुलिस को दी गई थी और उसी पर मृतक के भाई ने प्रति हस्ताक्षर किए हैं। मृतक के रिश्तेदार द्वारा यह घोषणा रिकॉर्ड में है कि मृतक का अंतिम संस्कार किया गया था। यह घोषणा घाट द्वारा जारी प्रमाण पत्र पर की गई है। [पैरा 22] [152-जी-एच; 153-ए-बी]

2.6. पुलिस पर यह आरोप नहीं लगाया जा सकता कि उसने मृतक को वर्ष 1994 के किसी मामले में शामिल करने का प्रयास किया। पुलिस का यह मामला नहीं है कि मृतक वर्ष 1994 के किसी मामले में शामिल था। पुलिस का यह मामला है कि वह उस मामले में शामिल नहीं था। शायद, सूचना किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित थी या सूचना गलत थी। [पैरा 23] [153-एफ-डी-ई]

2.7. यह दलील कि जब पीयूसीएल ने घटनास्थल का दौरा किया तो वहां खून के धब्बे नहीं मिले, कोई आधार नहीं रखती। विस्तृत जब्ती ज्ञापन रिकॉर्ड में है, जिसमें खून से सनी मिट्टी बरामद होने की बात कही गई है। जांच रिपोर्ट, जिसे सीआईडी की रिपोर्ट में पुन: प्रस्तुत किया गया है, पुष्टि करती है कि मृतक को खून बहने वाली चोटें आई

थीं। पीयूसीएल ने बरसात के मौसम में चार दिन बाद घटनास्थल का दौरा किया। इसलिए, यह मानते हुए कि चार दिन बाद घटनास्थल पर खून के धब्बे नहीं मिले, इससे घटना का खंडन नहीं होता। [पैरा 24] [153-एच; 154-ए]

2.8. यह कहना सही नहीं है कि पुलिस की हरकतें पुलिस डायरी में दर्ज नहीं की गई थीं। संबंधित थाने की पुलिस डायरी के अंश, संबंधित अवधि की पुलिस हरकतों को दर्शाते हैं। [पैरा 25] [154-सी]

2.9. डॉक्टरों के बयानों को सीआईडी रिपोर्ट में फिर से पेश किया गया है। डॉक्टरों ने कहा है कि शव पर कोई कालापन या जलन नहीं थी, जिससे पता चलता है कि मृतक को नजदीक से गोली मारी गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यह नहीं दिखाया गया है कि मृतक को सीने में चोट लगी थी। [पैरा 26] [154-डी]

2.10. यह सच है कि पुलिसकर्मियों को कोई गोली नहीं लगी। हालांकि, पुलिस वाहन पर गोली लगी थी। इससे यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। [पैरा 26] [154-ई]

2.11. यह कहना सही नहीं है कि पुलिस के बयान का समर्थन करने वाले कोई स्वतंत्र चश्मदीद गवाह नहीं हैं। धारा 164 सीआरपीसी के तहत दो गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। यह सीआईडी रिपोर्ट से स्पष्ट है। [पैरा 26] [154-एफ]

2.12. मृतक के संबंध में सभी चालान एक ही दिन दाखिल करने के संबंध में उचित स्पष्टीकरण है। मृतक 2002 और 2003 के मामलों में वांछित था। जब उसकी मृत्यु हुई तो वह फरार था। अदालत को यह सूचित करने के लिए एक रिपोर्ट दाखिल की जानी आवश्यक थी कि वह मर चुका है। पुलिस का मामला है कि इन परिस्थितियों में एक ही दिन तीन चालान तैयार किए गए और दाखिल किए गए। ये चालान नहीं बल्कि अंतिम प्रपत्र हैं। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि यह जानबूझकर मृतक के खिलाफ रिकॉर्ड बनाने के इरादे से किया गया था। [पैरा 27] [154-जी-एच; 155-ए]

3.1. इस बात की वास्तविक परीक्षा कि कोई लोक सेवक अपने कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य कर रहा था या करने का दावा कर रहा था, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि जिस कार्य की शिकायत की गई है, वह सीधे उसके आधिकारिक कर्तव्यों से जुड़ा हुआ था या यह उसके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में किया गया था या यह उसके कार्यालय से इतना अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ था या उससे जुड़ा हुआ था कि वह उससे अविभाज्य था। [पैरा 29] [155-ई]

के. सतवंत सिंह बनाम पंजाब राज्य 1960 (2) एससीआर 89 - पर भरोसा किया गया।

3.2. धारा 197 सीआरपीसी के तहत दिए गए संरक्षण की कुछ सीमाएं हैं और यह तभी उपलब्ध है जब लोक सेवक द्वारा किया गया कथित कार्य उसके आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन से उचित रूप से जुड़ा हुआ हो और आपत्तिजनक कार्य करने के लिए केवल एक आवरण न हो। यदि अपने आधिकारिक कर्तव्य का पालन करते हुए, उसने अपने कर्तव्य से अधिक कार्य किया है, लेकिन उस कार्य और आधिकारिक कर्तव्य के प्रदर्शन के बीच एक उचित संबंध है, तो यह अधिकता लोक सेवक को सुरक्षा से वंचित करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं होगी। [पैरा 29] [155-एफ-जी]

कुमार राघवेंद्र सिंह और अन्य बनाम गणेश चंद्र यहूदी के माध्यम से उड़ीसा राज्य (2004) 8 एससीसी 40: 2004 (3) एससीआर 504 - पर भरोसा किया गया।

3.3. यदि उपरोक्त परीक्षण वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू होते हैं, तो पुलिस को धारा 197 सीआरपीसी के तहत दी गई सुरक्षा मिलनी चाहिए क्योंकि जिन कृत्यों की शिकायत की गई है वे उनके कार्यालय से इतने अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं या संलग्न हैं कि वे इससे अविभाज्य हैं। यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि धारा 197 सीआरपीसी के तहत दी गई सुरक्षा का उपयोग इस मामले में पुलिस कर्मियों द्वारा मृतक की निर्मम हत्या करने के लिए एक आवरण के रूप में किया जाता है। [पैरा 29] [155-जी-एच; 156-ए]

3.4. पुलिस अधिकारियों का यह कर्तव्य नहीं है कि वे अभियुक्त को केवल इसलिए मार डालें क्योंकि वह एक खूंखार अपराधी है। निस्संदेह, पुलिस को अभियुक्त को गिरफ्तार करना चाहिए और उन पर मुकदमा चलाना चाहिए। इस न्यायालय ने बार-बार उन पुलिस कर्मियों को फटकार लगाई है जो अपराधियों को मार गिराते हैं और घटना को मुठभेड़ के रूप में पेश करते हैं। ऐसी हत्याओं की निंदा की जानी चाहिए। वे राज्य प्रायोजित आतंकवाद के समान हैं। लेकिन, इस तथ्य से कोई अनभिज्ञ नहीं हो सकता कि ऐसे मामले भी हैं जहाँ पुलिस, जो अपना कर्तव्य निभा रही है, पर हमला किया जाता है और उसे मार दिया जाता है। ऐसी घटनाओं में वृद्धि हुई है और इस तथ्य का न्यायिक संज्ञान लिया जाना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में, जहाँ पुलिस को अपराधियों को गिरफ्तार करने का अपना कानूनी कर्तव्य निभाना होता है, वहीं उन्हें अपनी सुरक्षा भी करनी होती है। अभियोजन के लिए स्वीकृति की आवश्यकता पुलिसकर्मियों को सुरक्षा प्रदान करती है, जिन्हें कभी-कभी लोगों की जान और संपत्ति की रक्षा करने और हमले से खुद को बचाने के लिए अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है। जब तक यह साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई स्पष्ट सबूत न हो कि उनकी कार्रवाई अक्षम्य, मा/विश्वासपूर्ण और प्रतिशोधी है, तब तक उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी एक पूर्व शर्त होनी चाहिए। यह ऐसे पुलिस कर्मियों को आवश्यक सुरक्षा प्रदान करता है। इस मामले में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि पुलिस की कार्रवाई अक्षम्य या प्रतिशोधी है या पुलिस अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में काम नहीं कर रही थी। [पैरा 38 और 39] [163-बी-जी]

4. मंजूरी आवश्यक है या नहीं, इसका निर्णय हर चरण में किया जाना चाहिए। यह प्रश्न कार्यवाही के किसी भी चरण में उठ सकता है। किसी भी मामले में, यह शुरू में ही उठ सकता है। रिकॉर्ड पर ऐसी अकाट्य और अभेद्य परिस्थितियाँ हो सकती हैं, जो शुरू में ही यह स्थापित कर सकती हैं कि पुलिस अधिकारी या लोक सेवक अपने आधिकारिक कर्तव्य के पालन में काम कर रहा था और वह सीआरपीसी की धारा 197 के तहत दी गई सुरक्षा का हकदार है। यह मानना संभव नहीं है कि ऐसे मामले में, अदालत शुरू में आरोपी या संबंधित लोक सेवक द्वारा पेश किए गए किसी भी दस्तावेज़ पर गौर नहीं कर सकती। शिकायत की प्रकृति को ध्यान में रखना होगा। यह याद रखना चाहिए कि अपराध का संज्ञान लेने के लिए पूर्व मंजूरी एक पूर्व शर्त है और इसलिए, यह

कोई आवश्यकता नहीं है कि आरोपी को यह दलील उठाने के लिए आरोप तय होने तक इंतजार करना चाहिए। [पैरा 37) [162-ई-जी]

माताजोग डोबे बनाम एच.सी. भारी (1955) 2 एससीआर 925 - अनुसरण किया गया।

शंकरन मोइत्रा बनाम साधना दास और अन्य। (2006) 4 एससीसी 584: 2006 (3) एससीआर 305 - पर भरोसा किया गया।

राज किशोर रॉय बनाम काम/ेश्वर पांडे और अन्य। (2002) 6 एससीसी 543; पुखराज बनाम राजस्थान राज्य और अन्य। 1974 (1) एससीआर 559; नागराज बनाम मैसूर राज्य एआईआर 1964 एससी 269: 1964 एससीआर 671 - प्रतिष्ठित।

डॉ. होरी राम सिंह बनाम एम्पावर एआईआर 1939 एफसी 43; अब्दुल वहाब अंसारी बनाम बिहार राज्य और अन्य। (2000) 8 एससीसी 500: 2000 (3) सप्ल। एससीआर 747 - संदर्भित।

5. हालांकि धारा 482 सीआरपीसी के तहत शक्ति का इस्तेमाल अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए संयम से और सावधानी से किया जाना चाहिए, लेकिन वैध अभियोजन को बाधित करने के लिए नहीं, लेकिन अगर प्रशिक्षित न्यायिक दिमाग को लगता है कि अभियोजन जारी रखने से अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा, तो धारा 482 के तहत शक्ति का इस्तेमाल किया जाना चाहिए और कार्यवाही को रद्द किया जाना चाहिए। वर्तमान मामला ऐसे मामलों में से एक है, जहां पुलिस कर्मियों के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही को रद्द करने की जरूरत है। [पैरा 39) [163-एच; 164-ए-बी]

झंडू फार्मास्युटिकल वर्क्स लिमिटेड और अन्य बनाम मोहम्मद शराफुल हक और अन्य (2005) 1 एससीसी 122: 2004 (5) सप्लीमेंट एससीआर 790 - संदर्भित।

केस लॉ संदर्भ:

1960 (2) एससीआर	89	पैरा 29	पर निर्भर
2004 (3) एससीआर	504	पैरा 29	पर निर्भर
एआईआर 1939 एफसी	43	पैरा 30	को संदर्भित
(1955) 2 एससीआर	925	पैरा 31	का अनुसरण
(2002) 6 एससीआर	543	पैरा 32	विशिष्ट
1974 (1) एससीआर	559	पैरा 33	विशिष्ट
1964 एससीआर	671	पैरा 34	विशिष्ट
2000 (3) अनुपूरक एससीआर	747	पैरा 35	को संदर्भित
2006 (3) एससीआर	305	पैरा 36	को संदर्भित
2004 (5) अनुपूरक एससीआर	790	पैरा 39	को संदर्भित

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 1491/2012।

झारखंड उच्च न्यायालय रांची के दिनांक 1.5.2006 के निर्णय एवं आदेश से, आपराधिक अपील संख्या 822/2005।

साथ में आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार संख्या 1492/2012।

के.वी. विश्वनाथन, कॉलिन गोंजाल्विस, मुकुल रोहतगी, नवीन कुमार, अभिषेक कौशिक, तारिक अदीब, ज्योति मेंदीरत्ता, रतन कुमार चौधरी, विश्वजीत सिंह, अभिंद्र जी. माहेश्वरी, पंकज सिंह, वीरा कुआल सिंह उपस्थित पक्षों के लिए।

न्यायालय का निर्णय द्वारा सुनाया गया

(श्रीमती) रंजना प्रकाश देसाई, जे. 1. छुट स्वीकृत।

2. इन दोनों अपीलों में, विशेष अनुमति द्वारा, झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध याचिका संख्या 822/2005 और आपराधिक विविध याचिका संख्या 640/2005 में दिए गए दिनांक 1/5/2006 के निर्णय और आदेश को चुनौती दी गई है, जो दंड प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में, "संहिता") की धारा 482 के तहत दायर की गई थी। आपराधिक विविध याचिका संख्या 640/2005 श्री राजीव रंजन सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, (डिप्टी एसपी) मुख्यालय (द्वितीय), जमशेदपुर द्वारा दायर की गई थी। आपराधिक विविध याचिका संख्या 822/2005 जमशेदपुर में विभिन्न क्षमताओं में तैनात पुलिस कर्मियों द्वारा दायर की गई थी। उच्च न्यायालय के समक्ष दायर याचिकाओं में शिकायत मामला संख्या 731/2004 में आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जमशेदपुर द्वारा शिकायत में कथित अपराधों का संज्ञान लेते हुए पारित दिनांक 14/06/2005 के आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की गई थी।

3. मामले के संक्षिप्त तथ्य बताए जाने आवश्यक हैं: अपीलकर्ता कैलाशपति सिंह शिकायतकर्ता हैं। 23/7/2004 को उन्होंने सी.जे.एम., जमशेदपुर की अदालत में शिकायत

वाद_सं.731/2004 के तहत (1) राजीव रंजन सिंह, उप पुलिस अधीक्षक-11, (2) प्रदीप कुमार, उप निरीक्षक, (3) ओमप्रकाश, उप निरीक्षक, (4) श्याम बिहारी सिंह, कांस्टेबल और (5) भरत शुक्ला, कांस्टेबल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उनके बेटे अमित प्रताप सिंह उर्फ मुन्ना सिंह (सुविधा के लिए, "मृतक मुन्ना सिंह") को शिकायत में नामित अभियुक्तों और तीन अन्य लोगों द्वारा 1/7/2004 को लगभग 10.30 बजे रात में डोमोहानी, सोनारी, जमशेदपुर में फर्जी मुठभेड़ में मार दिया गया। शिकायतकर्ता के अनुसार, उन्हें 2/7/2004 को जमशेदपुर के संजय कुमार से टेलीफोन पर संदेश मिला कि उनके बेटे की मुठभेड़ में मौत हो गई है। यह खबर जमशेदपुर के स्थानीय समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुई थी। समाचार पत्र की रिपोर्ट के अनुसार, मृतक के साथ, तीन अन्य अर्थात्

राजीब दुबे, बबलू प्रसाद और रैम्बो भी मारे गए थे। शिकायतकर्ता के अनुसार, वह अपने बड़े बेटे कृष्णा सिंह के साथ जमशेदपुर पहुंचे और अपने बेटे के शव को दाह संस्कार के लिए प्राप्त करने के उद्देश्य से जमशेदपुर पुलिस अधिकारियों से संपर्क किया। हालांकि, पुलिस ने शव को सौंपने से इनकार कर दिया। इसलिए, शिकायतकर्ता के बड़े बेटे कृष्णा सिंह ने मामले की सूचना पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के उपायुक्त को दी। हालांकि, पुलिस ने उचित अधिकारियों से बार-बार अनुरोध करने के बावजूद मृतक का शव नहीं सौंपा। शिकायतकर्ता का मामला यह है कि बाद में उन्हें पता चला कि पुलिस ने संजय कुमार नामक व्यक्ति से दबाव में चालान पर हस्ताक्षर करवा लिए थे, शिकायतकर्ता के अनुसार मृतक का शव संजय कुमार को सौंपने के बजाय आदित्यपुर के पार्वती घाट पर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। शिकायतकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों को अंधेरे में रखा गया। ऐसा सबूत मिटाने और पुलिस मुठभेड़ की कहानी गढ़ने के लिए किया गया। शिकायतकर्ता का कहना है कि मृतक मुन्ना सिंह किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं था। वह जमशेदपुर और अन्य जगहों पर लोगों को अपनी जीप किराए पर देता था और अपनी आजीविका चलाता था। शिकायतकर्ता के अनुसार मृतक मुन्ना सिंह को भारतीय दंड संहिता (संक्षेप में आईपीसी) की धारा 392 के तहत सोनारी थाना कांड संख्या 15/1994 दिनांक 6/3/1994 में गलत तरीके से फंसाया गया था। वास्तव में उस दिन उसकी उम्र मात्र 9 वर्ष थी। शिकायतकर्ता ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि मृतक मुन्ना सिंह के सीने में तीन गोलियां लगी थीं, जिससे संकेत मिलता है कि पुलिस ने नजदीक से गोली मारकर उसकी हत्या की है। शिकायतकर्ता ने इस बात पर आपत्ति जताई कि पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी नहीं की गई थी। शिकायतकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि आरोपियों ने अपने आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते हुए अपराध किया है, इसलिए, उनके खिलाफ धारा 197 के तहत मुकदमा चलाने के लिए किसी मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। शिकायतकर्ता के अनुसार, आरोपियों ने इस प्रकार आईपीसी की धारा 120-बी, 203 और 302 के साथ धारा 34 के तहत अपराध किया है।

4. दूसरा संस्करण जो बताना जरूरी है, वह स्क्रैप डीलर जीवन प्रसाद नरेडी द्वारा 01/7/2004 को दर्ज कराई गई एफआईआर से पता चलता है कि 1/7/2004 को रात 9.50 बजे कुछ बदमाश मोटर साइकिल पर सवार होकर उसके घर आए। वे आग्नेयास्त्रों से लैस थे। उन्होंने उसके घर में स्थित उसके कार्यालय पर गोलीबारी की और भाग गए। यह उसे धमकाने और फिरौती की मांग को पूरा करने के लिए मजबूर करने के लिए किया गया था। डीएसपी राजीव रंजन सिंह द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर में पुलिसकर्मियों के मामले का खुलासा किया गया है कि इस घटना की सूचना मिलने पर पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए निकली। उन्होंने उनका पता लगाया और उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। हालांकि, आत्मसमर्पण करने के बजाय, उन्होंने पुलिस पर गोलीबारी की। पुलिस को खुद को बचाने के लिए जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी और इसमें चार अपराधी मारे गए। बाकी भाग निकले। मारे गए लोगों में शिकायतकर्ता का बेटा भी शामिल था।

5. उच्च न्यायालय ने अपने विवादित निर्णय और आदेश के द्वारा राजीव रंजन सिंह, पुलिस उपाधीक्षक द्वारा दायर याचिका को इस आधार पर स्वीकार कर लिया कि संहिता की धारा 197 के तहत अपेक्षित मंजूरी प्राप्त नहीं की गई थी। उच्च न्यायालय के समक्ष विवादित आदेश को, जहां तक कि उसने उनके खिलाफ अपराधों का संज्ञान लिया था, निरस्त कर दिया गया। जहां तक अन्य पुलिसकर्मियों का संबंध है, उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि उनके द्वारा संहिता की धारा 197(3) के तहत जारी कोई अधिसूचना प्रस्तुत नहीं की गई, जिससे यह पता चले कि उन्हें अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य करने या कार्य करने का दावा करने के दौरान किए गए किसी भी कथित अपराध के संबंध में अभियोजन से संरक्षण प्राप्त है।

6. शिकायत को निरस्त करने की उनकी प्रार्थना की अस्वीकृति से व्यथित होकर, अपीलकर्ता ओम प्रकाश और अन्य इस न्यायालय में आए हैं। उच्च न्यायालय के विवादित निर्णय और आदेश से व्यथित होकर, जिसमें उसने राजीव रंजन सिंह, उप पुलिस अधीक्षक-11 के विरुद्ध जी कार्यवाही को निरस्त कर दिया था, शिकायतकर्ता इस न्यायालय में आया है। चूंकि दोनों अपीलें एक ही निर्णय और आदेश को चुनौती देती हैं और वे एक ही तथ्यों से उत्पन्न होती हैं, इसलिए हम उन्हें इस सामान्य निर्णय द्वारा निपटाते हैं।

7. हमने अपीलकर्ता ओम प्रकाश एवं अन्य के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री के.वी. विश्वनाथन, शिकायतकर्ता कैलाशपति सिंह के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कोलिन गोंजाल्विस और प्रतिवादी-राज्य एवं उप पुलिस अधीक्षक राजीव रंजन सिंह के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुल रोहतगी की दलीलें सुनी हैं।

8. प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार करने से पहले, एक स्वीकृत तथ्य को बताना आवश्यक है, जिससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अपीलकर्ता ओम प्रकाश एवं अन्य के खिलाफ कार्यवाही को रद्द न करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया कारण अर्थात् यह कि उनके द्वारा संहिता की धारा 197(3) के तहत कोई अधिसूचना प्रस्तुत नहीं की गई, जो उन्हें उनके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य करने या कार्य करने का दावा करने के दौरान किए गए कथित किसी भी अपराध के संबंध में अभियोजन से बचाती हो, गलत है। हमें बिहार राज्य द्वारा जारी दिनांक 16/5/1980 की अधिसूचना की एक प्रति दिखाई गई है, जो पुलिस बल के सभी सदस्यों को संहिता की धारा 197 की उप-धारा (2) के संरक्षण का विस्तार करती है क्योंकि इसमें अधिकारी और पुरुष दोनों शामिल हैं। शिकायतकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री गोंसाल्वेस ने इस स्थिति पर विवाद नहीं किया है। इसलिए, इस मुद्दे पर और विस्तार से चर्चा करना आवश्यक नहीं है।

9. शिकायतकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गोंजाल्विस के कथनों से शुरू करना उचित होगा, क्योंकि शिकायतकर्ता का मामला यह है कि उनके बेटे की हत्या फर्जी मुठभेड़ में की गई थी। अधिवक्ता ने कहा कि पोस्टमार्टम नोट्स से पता चलता है कि मृतक मुन्ना सिंह के सीने पर चोटें आई थीं। यह नजदीक से गोली चलाने का संकेत है। मृतक मुन्ना सिंह के नाखून काले हो गए थे, जो वास्तविक मुठभेड़ के सिद्धांत के विपरीत है। अधिवक्ता ने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

{एनएचआरसी) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार पुलिस के लिए पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी करना आवश्यक था। अधिवक्ता ने आगे कहा कि मृतक मुन्ना सिंह का शव उसके बहनोई को नहीं सौंपा गया, जैसा कि आरोप लगाया गया है। शव सौंपे जाने की रसीद पर उसके हस्ताक्षर जबरन लिए गए थे। मृतक मुन्ना सिंह का अंतिम संस्कार उसके परिवार के सदस्यों को सूचित किए बिना कर दिया गया। अधिवक्ता ने आगे कहा कि जीवन नारेडी द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर में कहा गया है कि घटनास्थल पर खून मिला था। हालांकि, ऐसा कोई खून नहीं मिला। वकील ने दलील दी कि पुलिस डायरी में मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गतिविधियों का उल्लेख नहीं है। मुठभेड़ की थ्योरी झूठी है, क्योंकि पुलिस दल के किसी भी सदस्य को चोटें नहीं आईं। वकील ने बताया कि कथित मुठभेड़ के बारे में गवाही देने के लिए कोई विश्वसनीय निजी गवाह नहीं है। पुलिस ने दावा किया है कि मृतक मुन्ना सिंह 1994 में हुए एक गंभीर अपराध में शामिल था। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी प्रमाण पत्र, जिसमें मृतक मुन्ना सिंह की जन्मतिथि 10/1/1985 दर्शाई गई है [शिकायतकर्ता द्वारा दायर अपील में अनुलग्नक पी-1] का हवाला देते हुए वकील ने दलील दी कि 1994 में मृतक मुन्ना सिंह की उम्र केवल नौ वर्ष थी। इसलिए यह वास्तव में एक मनगढ़ंत मामला है। वकील ने बताया कि शिकायतकर्ता द्वारा 27/7/2004 को शिकायत दर्ज कराने के बाद 31/8/2004 को मृतक मुन्ना सिंह के खिलाफ तीन चालान सिर्फ यह दिखाने के लिए दायर किए गए कि वह एक खूंखार अपराधी था। ये सभी हालात बताते हैं कि पुलिस ने अपने द्वारा की गई निर्मम हत्याओं को छिपाने के लिए जी-तोड़ कोशिश की है। वे एक असली मुठभेड़ का मामला गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं।

10. स्वीकृति की आवश्यकता के संबंध में, अधिवक्ता ने कहा कि यह दिखाने के लिए अंतर्निहित साक्ष्य हैं कि पुलिस निर्मम हत्याओं की दोषी है। किसी भी तरह से यह नहीं कहा जा सकता कि जब मृतक मुन्ना सिंह की गोली मारकर हत्या की गई, तो पुलिस अपना सार्वजनिक कर्तव्य निभा रही थी। इसलिए, इस मामले में शामिल पुलिसकर्मियों पर मुकदमा चलाने के लिए स्वीकृति प्राप्त करने का कोई सवाल ही नहीं है। अधिवक्ता ने कहा कि जब स्वीकृति का प्रश्न उठाया जाता है, तो इसका अध्ययन शिकायत के संदर्भ में किया जाना चाहिए, न कि अभियुक्त द्वारा आत्मरक्षा की दलील स्थापित करने के लिए प्रस्तुत दस्तावेजों के संदर्भ में। अधिवक्ता ने कहा कि आत्मरक्षा की दलील केवल ट्रायल कोर्ट में ही उठाई जा सकती है। अधिवक्ता ने कहा कि फर्जी मुठभेड़ है या नहीं, इसका विचार केवल शिकायत और आरोप तय होने से पहले दर्ज की गई गवाही के आधार पर किया जाना चाहिए। जब यह दिखाने के लिए निर्विवाद साक्ष्य मौजूद हों कि पुलिस फर्जी मुठभेड़ की दोषी है, तो अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत किसी भी सामग्री पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे मामले में स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। अपने प्रस्तुतीकरण के समर्थन में, वकील ने डॉ. होरी राम सिंह बनाम एम्पावर में संघीय न्यायालय के फैसले का हवाला दिया, माताजोग डोबे बनाम एच. सी. भारी, पुखराज बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य, नागराज बनाम मैसूर राज्य, राज किशोर रॉय बनाम कमलेश्वर पांडे एवं अन्य, के. सतवंत सिंह बनाम पंजाब राज्य और उड़ीसा राज्य के माध्यम से कुमार राघवेंद्र सिंह एवं अन्य बनाम गणेश चंद्र ज्यू में इस न्यायालय के फैसलों

का हवाला दिया। वकील ने संहिता की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय की शक्तियों की प्रकृति के सवाल पर झंडू फार्मास्युटिकल वर्क्स लिमिटेड एवं अन्य बनाम मोहम्मद शराफू/हक सी एवं अन्य के फैसले का भी हवाला दिया।

11. दूसरी ओर, अपीलकर्ता ओम प्रकाश एवं अन्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विश्वनाथन तथा झारखंड राज्य एवं उप पुलिस अधीक्षक राजीव रंजन सिंह की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुल रोहतगी ने शंकरन मोइत्रा बनाम साधना दास एवं अन्य पर बहुत अधिक भरोसा किया तथा प्रस्तुत किया कि जब प्रावधान लागू होता है तो लोक सेवक के सफल अभियोजन के लिए मंजूरी एक पूर्व शर्त है। प्रस्तुत किया गया कि इस मामले में, ऐसी निर्विवाद परिस्थितियाँ हैं जो यह स्थापित करती हैं कि मृतक मुन्ना सिंह ने अन्य लोगों के साथ मिलकर जीवन नरेडी के घर पर गोलीबारी की थी तथा वहाँ से भाग गए थे। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास किया। उन्होंने पुलिस पर गोलीबारी की। पुलिस ने बचाव में तथा अपने कर्तव्य का पालन करते हुए गोलीबारी की। इसलिए, उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।

12. अभिलेखों में उपलब्ध दस्तावेजों से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य एकत्रित किए जा सकते हैं, जिनका उल्लेख किया जाना आवश्यक है। सबसे पहले जीवन प्रसाद नरेडी द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर का संदर्भ लेना आवश्यक होगा, जिनके घर पर अपराधियों ने हमला किया था, क्योंकि यह समय की दृष्टि से पहली घटना है। दिनांक 1/7/2004 को 2330 बजे बिष्टुपुर थाना में दर्ज कराई गई एफआईआर में नरेडी ने कहा था कि वह स्क्रैप डीलर है, जो टेल्को और टिस्को से स्क्रैप खरीदकर टेल्को फाउंड्री जमशेदपुर को आपूर्ति करता है। उसने कहा कि 1/7/2004 को रात्रि 9.45 बजे वह अपने आवास में स्थित कार्यालय में था। अचानक, रात्रि 9.50 बजे उसके कार्यालय के रूप में उपयोग किए जाने वाले कमरे पर कुछ राउंड गोलियां चलाई गईं। गोलियां उक्त कमरे की बाहरी दीवार और उसके घर के गेट की दीवार पर लगीं। उसने अपने परिवार के सदस्यों को घर के अंदर रहने का निर्देश दिया। गोलियों की आवाज सुनकर उसका पड़ोसी चिल्लाया। उन्होंने हिम्मत जुटाई और मुख्य द्वार खोलकर घर के बाहर चले गए। उनके पड़ोसी ने बताया कि दो-तीन मोटरसाइकिल सवार वहां आए थे। वे रीजेंट होटल रोड की तरफ से उनके घर की तरफ आए और अचानक उनके कार्यालय के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले कमरे की दीवार पर गोलीबारी शुरू कर दी। उन्होंने उक्त कमरे की बाहरी दीवार पर दो जगहों पर और उनके घर के गेट के सामने की तरफ मुख्य दीवार पर भी गोलीबारी के निशान देखे। उन्हें घटनास्थल पर खाली कारतूस और एक गोली पड़ी मिली। उन्होंने आगे बताया कि खूंखार अपराधी बबलू प्रसाद ने उन्हें धमकी दी थी। उसने उनसे फिरौती की मांग की थी। डर के मारे उन्होंने अपना टेलीफोन नंबर बदल दिया था। इसलिए, बबलू प्रसाद उनसे संपर्क नहीं कर सके और हताश होकर उन्होंने अपने साथियों के साथ उनके घर पर हमला किया ताकि उनसे फिरौती की रकम वसूली जा सके।

13. यहां डीएसपी राजीव रंजन सिंह द्वारा दिनांक 2/7/2004 को 0015 बजे दर्ज एफआईआर का संदर्भ लेना भी आवश्यक है। इस एफआईआर के अनुसार, 2/7/2004 को उन्हें 2125 बजे सूचना मिली कि बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में गोलीबारी की घटना हुई है। वे टास्क फोर्स के अधिकारियों के साथ उक्त सूचना की पुष्टि करने के लिए

सूमो कार से निकले। सत्यापन करने पर उन्हें पता चला कि मोटरसाइकिल सवार कुछ अपराधी स्क्रैप का कारोबार करने वाले व्यवसायी जीवन नरेडी के घर आए, उनके घर पर गोलियां चलाईं और रानी कुदर की ओर चले गए, जो कदमा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वे अपनी पुलिस टीम के साथ अपराधियों का पता लगाने के लिए मुख्यालय से निकले। उस समय उन्हें सूचना मिली कि कुछ लड़के तेज गति से मोटरसाइकिल सवार होकर मतिन ड्राइव की ओर गए हैं। उन्होंने तुरंत थाना प्रभारी, सोनारी डीके श्रीवास्तव को घटना की जानकारी दी और आरोपियों की तलाश शुरू करने को कहा, जो मतिन ड्राइव की ओर गए थे। वे सोनारी, झुंझनी भी पहुंचे। सूमो गाड़ी की रोशनी में उन्होंने पांच-छह लड़कों को मोटरसाइकिल के साथ पक्की रोड पर खड़े देखा। उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी और कांस्टेबल भरत शुक्ला और कांस्टेबल श्याम बिहारी सिंह (हमारे सामने अपीलकर्ता) को लड़कों से पूछने का आदेश दिया कि वे कौन हैं और वहां क्यों खड़े हैं। ऐसा पूछे जाने पर लड़कों में से एक ने उनसे विपरीत प्रश्न किया कि वे कौन हैं। कांस्टेबलों ने जवाब दिया कि वे पुलिस बल से हैं। यह सुनते ही अचानक उनमें से एक ने अपनी बनियान से पिस्तौल निकाली और गोली चला दी। एक गोली सूमो गाड़ी के शीशे में लगी। पुलिस दल चमत्कारिक रूप से बच गया। डीएसपी राजीव रंजन सिंह गाड़ी से बाहर निकले और अपनी पुलिस टीम को सुरक्षित पोजीशन लेने को कहा। उन्होंने अपराधियों से आत्मसमर्पण करने को कहा, लेकिन वे दो जोड़ों में बंट गए और पुलिस दल पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी बचाव में फायरिंग शुरू कर दी। उस समय थानाध्यक्ष डीके श्रीवास्तव, पीओ सोनारी भी अन्य पुलिसकर्मियों के साथ वहां आ गए। डीएसपी राजीव रंजन सिंह ने अपने मोबाइल पर पीसीआर और पेट्रोलिंग ऑफिसर को एनकाउंटर की जानकारी दी। अपराधियों ने एक पेड़ के पीछे पोजिशन ले रखी थी। 15 से 20 मिनट तक फायरिंग होती रही। इसके बाद वे निर्मल बस्ती की ओर भाग गए। डिप्टी एसपी राजीव रंजन सिंह और अन्य लोग मौके पर गए और पाया कि दो अपराधी नदी किनारे मृत पड़े थे और दो अपराधी पेड़ के पीछे घायल अवस्था में पड़े थे।

14. मुठभेड़ की सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक जमशेदपुर, सहायक पुलिस अधीक्षक साकेत कुमार, नगर पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक आदि वहां पहुंचे। घटनास्थल पर पड़े सामान को जब्त किया गया। इनमें विदेशी निर्मित आग्नेयास्त्र शामिल थे। डीएसपी राजीव रंजन सिंह की शिकायत में आगे कहा गया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि ये सभी अपराधी फिरौती के लिए जीवन नरेडी के घर पर गोलीबारी करने के बाद दुमजानी में एकत्र हुए थे और आगे की कार्रवाई की योजना बना रहे थे। उसी दौरान पुलिस पार्टी वहां पहुंच गई। अवैध हथियारों से लैस अपराधियों ने पुलिस पर जान से मारने के लिए फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने अपने बचाव और अपराधियों की कानूनी गिरफ्तारी के लिए जवाबी फायरिंग की। इस मुठभेड़ के दौरान चार अपराधी मारे गए और दो अज्ञात अपराधी निर्मल बस्ती की ओर भाग गए।

15. पुलिस द्वारा जब्त की गई कुछ वस्तुओं का विवरण जब्ती ज्ञापन में इस प्रकार दिया गया है:

"जब्त की गई वस्तुओं का विवरण:

(i) चबूतरे के आसपास पड़ी 9 एमएम की खाली कारतूस - 6 नग।

(ii) गोली की पिलेट - सरतुआ के पेड़ के पास चबूतरे के पास पड़ी - 2 नग।

(iii) काले रंग की हीरो होंडा मोटरसाइकिल (बिना नंबर प्लेट) इंजन नंबर 01 बी 18एम20712 चेसिस नंबर 01 बी20सी21175 निर्मल महतो उद्यान के बोर्ड के पश्चिम की ओर पड़ी है।

(iv) मोटरसाइकिल के पहिये के पास पड़ी लोहे की बनी पिस्तौल - बैरल पर 'मेड इन वेस्टर्न जर्मनी ऑटो पिस्टल 57914' और बॉडी पर 'मेड इन वेस्टर्न जर्मनी और ऑटो पिस्टल 9 राउंड सीएएल 765ए 57914' अंकित है। बैरल की लंबाई करीब 9 अंगुल है और बट - 6 अंगुल है, जिसके नीचे मैगजीन लगी हुई है। खोलने पर एक खाली कारतूस उसके चेंबर में फंसा हुआ था और मैगजीन में 7.65 बोर के 4 जिंदा कारतूस लोड थे।

(v) xxx xxx xxx

(vi) मृतक राजीव दुबे के दाहिने हाथ के पास एक बैरल देशी .315 बोर की पिस्तौल जिसकी लम्बाई 8 अंगुल तथा शरीर में 5 अंगुल लकड़ी का हैंडल है। खोलने पर बैरल में 'KF 8mm' का निशान मिला। पिस्तौल में एक कारतूस फंसा हुआ था। राजीव दुबे के पतलून की दाहिनी जेब में एक जिंदा कारतूस 8 एम् एम् तथा शव के पास एक प्रयुक्त कारतूस पड़ा हुआ था तथा शव के सिर के पास दो प्रयुक्त कारतूस 7.65 बोर मिले।

(vii) xxx xxx xxx

(viii) यहाँ से पश्चिम-उत्तर - बिना नम्बर प्लेट की हीरो होण्डा स्पलेंडर इंजन नं.

97 के 17 इ 05846 चैसिस नं. 97 के 19 एफ 5777 ब्रेक लाईट टूटी हुई थी।

(ix) xxx xxx xxx

(x) मुन्ना सिंह की जेब से चालू हालत में सैमसंग मोबाइल फोन मिला। मोबाइल सेट का ईएमईआई नंबर - 35236200608952/6-19 जिसमें सिम नंबर 9635413435 लगा हुआ था। इसके अलावा मोबाइल के प्लास्टिक कवर में कागज के टुकड़े में लिपटे तीन सिम कार्ड जिसका नंबर 9835186118, 9835374951, 9431066524 है। मुन्ना सिंह की पिछली जेब से 'बिहार पुलिस' अंकित बैलेट जिसमें 500 x 8+50 x 1 +1 o x 1 कुल 4,060 रुपये और बिहार पुलिस का एक पहचान पत्र मिला जिसमें मुन्ना सिंह पुलिस वर्दी में दिख रहे हैं और उनका विवरण इस प्रकार है: नाम सरोज कुमार सिंह; पद - आरक्षी (729) आरक्षी अधीक्षक, रोहतास की मुहर सहित। अमित प्रताप सिंह का एचडीएफसी बैंक का एक टीएम कार्ड जिसका नम्बर 4386241704739313 है, दो टेलीफोन डायरियाँ, अमित प्रताप सिंह का जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज का एक रसीद बुक जिसका नम्बर 02192 है 9, ए-1 रोल नम्बर 337, भागलपुर सूरत एक्सप्रेस ट्रेन नम्बर 9048 का दिनांक 28.6.2004 का 781 रुपए का पीएनआर नम्बर 613-9472666 जमालपुर जंक्शन से बक्सर तक का रेलवे टिकट तथा अन्य कागजात।

(x i) xxx xxx xxx

(x ii) xxx xxx xxx

(x iii) नदी के किनारे सड़क के उस पार दक्षिण-पश्चिम में - बिना नम्बर प्लेट की हीरो होंडा स्प्लेंडर जिसका इंजन नम्बर 18 E 00877 चेसिस नम्बर 01 E 20 F 50766 है

(x iv) मृतक बबलू प्रसाद के शव के दाहिने हाथ की तरफ एक लोहे से बनी पिस्तौल (माउजर) जिस पर 'इटली सरकार की राजकीय संपत्ति C A L 765 A 57391' लिखा हुआ है। बैरल के बाईं तरफ C A L 9 m m A 57391' तथा शरीर के दाईं तरफ 'ऑटो पिस्टल 9 राउंड केवल सार्वजनिक आपूर्ति के लिए' लिखा हुआ है। नाप - 9 अंगुल लेकिन शव के साथ 6 अंगुल की मैगजीन तथा एक जिंदा कारतूस पड़ा हुआ है तथा 7.65 बोर के 5 प्रयुक्त कारतूस पूरे शरीर पर फैले हुए हैं।

(xv) xxx xxx xxx

(xvi) xxx xxx xxx

(xvii) xxx xxx xxx

(xviii) xxx xxx xxx

(xix) दक्षिण में - 9 m m प्रयुक्त कारतूस - कुल 14 नग पूरे शरीर पर फैले हुए हैं। (xx) सूमो से एक गोली।

16. हमारे विचार से यह जब्ती ज्ञापन यह दर्शाता है कि अपराधियों ने मोटर साइकिल का उपयोग किया था तथा वे घातक आग्नेयास्त्रों से लैस थे। घटनास्थल पर तीन मोटर साइकिलें पाई गईं। अपराधियों द्वारा उपयोग किए गए आग्नेयास्त्र विदेशी निर्मित थे। इस जब्ती ज्ञापन की सत्यता पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि पुलिस के लिए इस तरह का दृश्य गढ़ना तथा ऐसे हथियार लगाना कठिन है।

17. दोनों प्राथमिकी से यह स्पष्ट है कि घातक आग्नेयास्त्रों से लैस मोटर साइकिलों पर सवार अपराधियों ने व्यवसायी नरेडी के घर पर हमला किया था। नरेडी ने विष्टुपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई। सूचना मिलने पर पुलिस तंत्र हरकत में आ गया था। डीएसपी राजीव रंजन सिंह अपने दल के साथ अपराधियों का पता लगाने के लिए अपने कार्यालय से निकले। वे अपराधियों का पता लगा पाए। उन्होंने अपराधियों से आत्मसमर्पण करने को कहा। अपराधियों ने आत्मसमर्पण करने के बजाय उन पर गोलियां चलाईं। पुलिस को खुद को बचाने के लिए और अपराधियों को पकड़ने के लिए जवाबी हमला करना पड़ा, जो उनका कानूनी कर्तव्य था और इस जवाबी हमले में चार अपराधियों को गोली लगी और वे उन चोटों के कारण दम तोड़ गए। गोलीबारी में चार अपराधियों की मौत से पहले उन्होंने व्यापारी नरेडी के घर पर हमला किया और पुलिस कर्मियों पर भी हमला किया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपराधी नरेडी के घर पर हमला करने के लिए निकले थे ताकि फिरौती वसूल सकें। घटनास्थल पर पड़े हथियारों से हमें लगता है कि अपराधियों ने अपराध की दुनिया अपना ली थी और वे नौसिखिए नहीं थे। अपराधियों का पिछला रिकॉर्ड हमारे इस निष्कर्ष का समर्थन करता है।

18. इस संबंध में पुलिस उपाधीक्षक श्री एस.के. कुजूर के शपथ-पत्र का संदर्भ लेना आवश्यक है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य अभिलेख पर लाए गए हैं। श्री कुजूर ने अपने शपथ-पत्र में मृतक द्वारा अपने मित्रों के साथ मिलकर व्यापारी जीवन नरेडी पर 117/2004 की रात्रि लगभग 9.15 बजे रंगदारी के लिए किए गए हमले का वर्णन किया है। उन्होंने जीवन नरेडी द्वारा बिष्टुपुर थाना में दर्ज कराई गई प्राथमिकी का उल्लेख किया

है, जो बिष्टुपुर थाना कांड संख्या 134/2003 के रूप में दर्ज है। इसके बाद उन्होंने बताया है कि किस प्रकार घटना के बाद अपराधी जीवन नरेडी के घर से भाग गए तथा किस प्रकार गोलीबारी की सूचना मिलने पर पुलिस उपाधीक्षक राजीव रंजन सिंह एवं उनकी पुलिस पार्टी ने उनका पीछा किया। उन्होंने यह भी बताया है कि मुठभेड़ में चार अपराधी मारे गए तथा दो भागने में सफल रहे। उन्होंने घटनास्थल से बरामद हथियारों एवं अन्य सामानों का भी वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि सभी अपराधी दुर्दांत अपराधी अखिलेश सिंह के गिरोह के सदस्य थे। उन्होंने आगे कहा है कि घटना के बाद, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और तत्कालीन एसपी, पूर्वी सिंहभूम श्री अरुण उरांव, एलपीएस ने मामले की निगरानी की। मजिस्ट्रेट द्वारा जांच की गई और डीएसपी (मुख्यालय) के स्व-मूल्यांकन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसे सोनारी पीएस कांड संख्या 53/2004 दिनांक 2/7/2004 के तहत धारा 307/427/353/34 आईपीसी के साथ जीआर कांड संख्या 1065/2004 के अनुरूप शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1 बी)(ए)/26/27/35 के तहत दर्ज किया गया। उन्होंने पुष्टि की है कि शिकायतकर्ता के दामाद श्री संजय नारायण सिंह द्वारा किए गए लिखित अनुरोध पर मृतक मुन्ना सिंह का शव पोस्टमार्टम के बाद उन्हें सौंप दिया गया और अंत में पार्वती घाट पर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। संबंधित दस्तावेज हलफनामे के साथ संलग्न हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शिकायतकर्ता ने घटना के 23 दिन बाद शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने कहा कि मामले की निगरानी तत्कालीन एसपी श्री अरुण उरांव ने की थी और उचित जांच के बाद मृतक अपराधियों को मृत आरोपी बताते हुए उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया है।

19. अखिलेश सिंह गिरोह की गतिविधियों को रेखांकित करने के बाद डीएसपी कुजूर ने मृतक अपराधियों के खिलाफ दर्ज मामलों को दर्शाते हुए एक चार्ट दिया है। इसमें लिखा है:

"आरोपी मुन्ना सिंह (अब मृत)

ए. साकची थाना कांड संख्या 208/02 धारा 307/34 एल.पी.सी. और 27 आर्म्स एक्ट के तहत बाद में धारा आई.पी.सी. में परिवर्तित

बी. साकची थाना कांड संख्या 144/03 धारा 324/307/367/34 एच.एल.पी.सी. और धारा 27 आर्म्स एक्ट के तहत।

सी. टेल्को पी.एस. केस संख्या 85/04 भारतीय दंड संहिता की धारा 392 के अंतर्गत।

डी. टेल्को पी.एस. केस संख्या 109/04 धारा 379 आई.पी.सी. और धारा 392 आई.पी.सी. के अंतर्गत।

ई. आदित्यपुर पी.एस. केस संख्या 139/04 धारा 392/411 आई.पी.सी. के अंतर्गत।

आरोपी बबलू प्रसाद उर्फ सुमन कुमार (अब मृत)।

ए. सीतारामडेरा पी.एस. केस संख्या 62/01 धारा 379 एल.पी.सी.

बी. बिष्टुपुर पी.एस. केस संख्या 244/01 धारा 379 एल.पी.सी.

सी. बिष्टुपुर पी.एस. केस संख्या 248/01 धारा 379 आई.पी.सी.

डी. सोनारी पी.एस. केस संख्या 71/01 धारा 379 एल.पी.सी.
इ. साकची पी.एस. केस संख्या 179/01 धारा 379 एल.पी.सी.
एफ. बिष्टुपुर पी.एस. मामला संख्या 49/03 धारा 3071387/34/120(8)
आईपीसी और आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत।
जी. साकची पी.एस. मामला संख्या 144/03 धारा 324/307/387/34
आई.पी.सी. और 27 आर्म्स एक्ट के तहत।
एच. परसुडीह पी.एस. मामला संख्या 182/03 धारा 414 आई.पी.सी. और
आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-बी)(ए)/26/35 के तहत।
आई. सोनारी पी.एस. मामला संख्या 12/04 धारा 387/326/307/34
आई.पी.सी. और धारा 27 आर्म्स एक्ट के तहत।

<u>आरोपी प्रकाश आनंद उर्फ रमेश उर्फ रैम्बो (अब मृत)</u>

ए. टेल्को पी.एस. केस संख्या 266/02 धारा 379 एल.पी.सी. के अंतर्गत
बी. सरायकेला पी.एस. केस संख्या 70/02 धारा 392/411 एल.पी.सी. के
अंतर्गत
सी. टेल्को पी.एस. केस संख्या 268/97 धारा 392/411 एल.पी.सी.
डी. टेल्को पी.एस. केस संख्या 273/97 धारा 392/411 एल.पी.सी.
ई. बिष्टुपुर पी.एस. केस संख्या 214/97 धारा 392 एल.पी.सी.
एफ. टेल्को पी.एस. केस संख्या 278/97 शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1-
बी)/ए/26 के तहत जी. टेल्को पी.एस. केस संख्या 258/92 धारा
394 और 397 एल.पी.सी.

<u>आरोपी राजीव कुमार दुबे उर्फ राजू दुबे।</u>

ए. सदर चाईबासा पी.एस. केस संख्या 10/01 धारा 307/120(8)
आईपीसी और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 41516 के तहत।
बी. बिष्टुपुर पी.एस. केस संख्या 125/03 धारा 25 (1-बी)/ए/26/35
आर्म्स एक्ट के तहत।
सी. आदित्यपुर पी.एस. केस संख्या 139/04 धारा 392/411 आई.पी.सी.
के तहत।

20. अंत में, पुलिस उपाधीक्षक कुजूर ने कहा है कि झारखंड राज्य ने पूरे मामले की पूरी जांच पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के उपायुक्त से कराई थी और उपायुक्त

की रिपोर्ट को गृह विभाग के उप सचिव को पत्र दिनांक 31/10/2006 के माध्यम से भेजा गया था। उक्त पत्र की एक प्रति शपथ पत्र के साथ अनुलग्नक-आर4 (सं.) में संलग्न है। हमने अनुलग्नक-आर4 (सं.) का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है, जिसमें पुलिस उपाधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट शामिल है। अपनी रिपोर्ट में पुलिस उपाधीक्षक, जमशेदपुर ने जांच के दौरान उठाए गए कदमों का विवरण देने के बाद मृत अपराधियों का पूर्ववृत्त भी बताया है। जहां तक मृतक मुन्ना सिंह के सीने पर गोली लगने के आरोप का सवाल है, तो बताया गया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक मुन्ना सिंह को मुठभेड़ के दौरान केवल तीन चोटें आईं थीं - एक बांह पर, दूसरी कलाई पर और तीसरी पेट पर। सभी परिस्थितियों की उचित परिप्रेक्ष्य में जांच करने के बाद रिपोर्ट इस प्रकार निष्कर्ष निकालती है: "रिकॉर्ड और अन्य संबंधित बिंदुओं की जांच से यह स्पष्ट है कि बिष्टुपुर निवासी व्यवसायी जीवन नरेड़ी के घर में अपराधियों द्वारा रंगदारी के लिए गोलीबारी की गई थी और घटना के बाद श्री राजीव रंजन सिंह, पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अपने वैध कर्तव्य का पालन करते हुए अपराधियों का पीछा किया। परिणामस्वरूप मुठभेड़ हुई और मुन्ना सिंह (प्रार्थी का पुत्र) और अखिलेश सिंह गिरोह से जुड़े शहर के तीन अन्य खूंखार अपराधी मारे गए।

इसलिए प्रार्थी द्वारा लगाए गए आरोप निराधार और झूठे हैं। मूल आवेदन के साथ निरीक्षण रिपोर्ट सूचनार्थ भेजी जा रही है।"

21. ऐसा प्रतीत होता है कि शिकायतकर्ता ने एनएचआरसी में शिकायत की थी। निस्संदेह, इस शिकायत की प्राप्ति पर, एनएचआरसी ने सीआईडी को जांच करने का निर्देश दिया। तदनुसार, नागेंद्र चौधरी, एसपी, सीआईडी, झारखंड (रांची) ने जांच की और अपनी रिपोर्ट पुलिस उप महानिरीक्षक, सीआईडी, झारखंड, रांची को सौंप दी। रिपोर्ट विस्तृत है और हमने इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है। रिपोर्ट से, ऐसा प्रतीत होता है कि जांच अधिकारी ने मृतक मुन्ना सिंह के भाई कृष्ण प्रताप सिंह का बयान दर्ज किया। उन्होंने दो स्वतंत्र गवाहों मोनी बोरकर और विजय सिंह के बयान भी दर्ज किए। इन गवाहों ने पुष्टि की है कि गोलीबारी की घटना हुई थी। जांच अधिकारी ने जब्ती ज्ञापन के गवाहों के बयान भी दर्ज किए। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि श्री शर्मा, विद्वान मजिस्ट्रेट (कानून और व्यवस्था जमशेदपुर) घटनास्थल पर आए और जांच रिपोर्ट तैयार की जहां तक मृतक का सवाल है, जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि उसके दाहिने पेट, दाहिने पैर और दाहिने हाथ की कोहनी के पास खून बहने वाले जख्म थे। जख्म गोली लगने के लग रहे थे। एमजीएम मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर से संबद्ध डॉ. प्रो. अखिलेश कुमार चौधरी का बयान भी दर्ज किया गया, जिन्होंने मृतक अपराधियों में से कुछ का पोस्टमार्टम किया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि डॉ. चौधरी ने कहा कि शरीर पर कोई दाग, कालापन आदि नहीं पाया गया, जिससे यह पुष्टि होती है कि गोलियां कुछ दूरी से चलाई गई थीं। डॉ. ललन चौधरी के बयान का संदर्भ दिया गया, जिन्होंने मृतक मुन्ना सिंह यानी शिकायतकर्ता के बेटे का पोस्टमार्टम किया था। डॉ. ललन चौधरी ने अपने बयान में कहा है कि शव पर कोई दाग, कालापन नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी

चर्चा की गई। इसी तरह फोरेंसिक लैबोरेटरी की रिपोर्ट पर भी विस्तृत चर्चा की गई। कहा गया कि घटनास्थल से बरामद तीन पिस्तौल से गोलियां चलाई गईं। व्यवसायी जीवन नरेडी का बयान भी दर्ज किया गया, जिनके घर पर अपराधियों ने हमला किया था। जीवन नरेडी ने विस्तृत विवरण दिया है कि किस तरह अपराधियों ने उनके घर पर गोलीबारी की और वहां से भाग गए। जांच रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोरेंसिक लैब रिपोर्ट, स्वतंत्र गवाहों के बयान, जिस व्यापारी के घर पर हमला हुआ था उसका बयान, मृतक के भाई का बयान और मृतक के पूर्ववृत्त और अन्य परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, रिपोर्ट यह निष्कर्ष निकालती है कि मुठभेड़ वास्तविक थी। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि एनएचआरसी ने इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है और इस निष्कर्ष पर भी पहुंचा है कि यह फर्जी मुठभेड़ का मामला नहीं है।

22. अब हम श्री गोंजाल्विस द्वारा पुलिस पर किए गए हमले पर विचार करेंगे। श्री गोंजाल्विस ने तर्क दिया कि शव शिकायतकर्ता के परिवार को नहीं सौंपा गया। हम पहले ही श्री एस.के. कुजूर, उप पुलिस अधीक्षक द्वारा दाखिल जवाबी हलफनामे का हवाला दे चुके हैं। उनके हलफनामे और उसके साथ संलग्न दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता के दामाद संजय नारायण सिंह के लिखित अनुरोध पर 2/7/2004 को मृतक मुन्ना सिंह का शव रिपुंजय कुमार सिंह और आशा शंकर सिंह की उपस्थिति में उन्हें सौंप दिया गया था। अंत में मृतक मुन्ना सिंह के परिवार के सदस्यों द्वारा पार्वती घाट पर शव का अंतिम संस्कार किया गया। हमारा ध्यान मृतक मुन्ना सिंह के बहनोई द्वारा किए गए आवेदन की प्रति की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसमें अनुरोध किया गया है कि शव को अंतिम संस्कार के लिए उन्हें सौंप दिया जाए। यह मृतक मुन्ना सिंह के भाइयों द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित है। शव को मृतक मुन्ना सिंह के बहनोई संजय नारायण सिंह को सौंप दिया गया और इस आशय की रसीद दिनांक 02/07/2004 को उनके द्वारा पुलिस को दी गई। रसीद की प्रति हमारे पास है। इस पर मृतक मुन्ना सिंह के भाई आशा शंकर सिंह के हस्ताक्षर हैं। मृतक मुन्ना सिंह के रिश्तेदार राजा नारायण सिंह द्वारा एक घोषणा पत्र रिकॉर्ड में दर्ज है कि मृतक मुन्ना सिंह का अंतिम संस्कार पार्वती घाट, बिष्टुपुर, जमशेदपुर में किया गया था। यह घोषणा पार्वती घाट अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र पर की गई है।

23. श्री गोंजाल्विस ने तर्क दिया कि मृतक मुन्ना सिंह का नाम 1994 में दर्ज एक मामले में दिखाया गया था, जब वह केवल 9 वर्ष का था। इससे पता चलता है कि पुलिस ने उसे एक खूंखार अपराधी दिखाने के लिए एक फर्जी मामला बनाया है। हमने देखा कि पोस्टमार्टम नोट में उसकी उम्र 28 वर्ष दिखाई गई है। पुलिस का यह मामला नहीं है कि मृतक मुन्ना सिंह वर्ष 1994 के किसी भी मामले में शामिल था। यह सही है कि डीएसपी जमशेदपुर द्वारा पुलिस अधीक्षक, जमशेदपुर, सोनारी पीएस को संबोधित पत्र की प्रति में, केस नंबर 15 ऑफ 1994 दिनांक 6/3/1994 को मृतक मुन्ना सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 392 के तहत दर्ज किया गया था। लेकिन आज तक, पुलिस का यह मामला है कि वह इस मामले में शामिल नहीं था। शायद, जानकारी किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित थी या जानकारी गलत थी। हमारे लिए यह मानना संभव नहीं है कि पुलिस ने उसे केस नंबर 15/1994 में शामिल करने का प्रयास किया है। पुलिस के

अनुसार मृतक जिन कई अन्य गंभीर अपराधों में शामिल था, उनकी सूची डीएसपी श्री कुजूर ने अपने हलफनामे में दी है। हमने इसे इस फैसले के पहले भाग में पुनः प्रस्तुत किया है।

24. यह तर्क कि जब पीयूसीएल ने घटनास्थल का दौरा किया तो वहां खून के धब्बे नहीं मिले, कोई आधार नहीं रखता। विस्तृत जब्ती ज्ञापन रिकॉर्ड में है, जिसमें खून से सनी मिट्टी बरामद होने की बात कही गई है। जांच रिपोर्ट, जिसे सीआईडी की रिपोर्ट में पुन: प्रस्तुत किया गया है, पुष्टि करती है कि मृतक को खून बहने वाली चोटें आई थीं। पीयूसीएल ने बरसात के मौसम में चार दिनों के बाद घटनास्थल का दौरा किया। इसलिए, यह मानते हुए कि चार दिनों के बाद घटनास्थल पर खून के धब्बे नहीं मिले, इससे घटना को गलत साबित नहीं किया जा सकता।

25. फिर यह तर्क दिया जाता है कि पुलिस की गतिविधियों को पुलिस डायरी में दर्ज नहीं किया जाता है। यह सही नहीं है। सोनारी थाने की पुलिस डायरी के अंश प्रासंगिक अवधि के पुलिस आंदोलनों को दर्शाते हैं। ये अंश उप पुलिस अधीक्षक कुजूर के हलफनामे के साथ संलग्न हैं।

26. यह प्रस्तुत किया गया कि मृतक के सीने पर चोटें आईं। सीआईडी रिपोर्ट में डॉक्टरों के बयानों को दोहराया गया है। डॉक्टरों ने कहा है कि मृतक के सीने पर कोई कालापन या जलन नहीं थी, जिससे पता चलता है कि मृतक को नजदीक से गोली मारी गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यह नहीं दिखाया गया है कि मृतक मुन्ना सिंह के सीने पर चोटें आई थीं। यह सही है कि पुलिस कर्मियों को कोई गोली नहीं लगी। हालांकि, सूमो वाहन को गोली लगी थी। सौभाग्य से, पुलिस को चोटें नहीं आईं, क्योंकि उन्होंने सुरक्षित स्थान ले लिया था। इससे यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। यह प्रस्तुत किया गया है कि पुलिस के बयान का समर्थन करने वाला कोई स्वतंत्र चश्मदीद गवाह नहीं है। यह गलत है। मोनी बोकर और विजय सिंह के बयान कोड की धारा 164 के तहत दर्ज किए गए हैं। यह सीआईडी रिपोर्ट से स्पष्ट है।

27. यह प्रस्तुत किया गया है कि मृतक मुन्ना सिंह के संबंध में सभी चालान एक ही दिन दायर किए गए थे। इसके लिए एक उचित स्पष्टीकरण दिया गया है। मृतक 2002 और 2003 के मामलों में वांछित था। जब उसकी मौत हुई तो वह फरार था। अदालत को यह बताने के लिए रिपोर्ट दाखिल करना जरूरी था कि वह मर चुका है। पुलिस का कहना है कि इन परिस्थितियों में एक ही दिन में तीन चालान तैयार करके दाखिल किए गए। ये चालान नहीं बल्कि अंतिम फॉर्म हैं। इन परिस्थितियों में हम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे हैं कि यह जानबूझकर मृतक के खिलाफ रिकॉर्ड बनाने के लिए दुर्भावनापूर्ण इरादे से किया गया था।

28. श्री गोंसाल्वेस ने तर्क दिया कि मृतक के नाखून काले हो गए थे। यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट या मजिस्ट्रेट द्वारा की गई जांच से साबित नहीं होता है। यह सच है कि पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी नहीं की गई थी। इस मामले में मजिस्ट्रेट ने जांच की थी। सीआईडी ने पूरी जांच की है और अपनी रिपोर्ट पेश की है जिसमें कहा गया है कि यह एक वास्तविक मुठभेड़ थी। एनएचआरसी भी पोस्टमार्टम से संतुष्ट है। इसलिए, यह अनुमान लगाना संभव नहीं है कि पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी इसलिए नहीं की गई क्योंकि

पुलिस कुछ दबाना चाहती थी। हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमने स्वतंत्र रूप से संबंधित दस्तावेजों, जैसे एफआईआर, पोस्टमार्टम नोट्स, जांच रिपोर्ट, जब्ती ज्ञापन और एफएसएल रिपोर्ट के अंशों की जांच की है और हमारा मानना है कि यह फर्जी मुठभेड़ का मामला नहीं है। हम शिकायतकर्ता के इस मामले को खारिज करते हैं कि पुलिस मृतक मुन्ना सिंह की फर्जी मुठभेड़ में निर्मम हत्या करने की दोषी है।

29. इस बात की सच्ची परीक्षा कि कोई लोक सेवक अपने कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य कर रहा था या करने का दावा कर रहा था, यह होगी कि जिस कार्य की शिकायत की गई है, वह सीधे उसके पदीय कर्तव्यों से जुड़ा था या यह उसके पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में किया गया था या यह उसके पद से इतना अभिन्न रूप से जुड़ा या संलग्न था कि उससे अलग नहीं किया जा सकता था। (के. सतवंत सिंह) संहिता की धारा 197 के तहत दिए गए संरक्षण की कुछ सीमाएं हैं और यह तभी उपलब्ध है जब लोक सेवक द्वारा किया गया कथित कार्य उसके पदीय कर्तव्य के निर्वहन से उचित रूप से जुड़ा हो और आपत्तिजनक कार्य करने के लिए मात्र एक आवरण न हो। यदि अपने पदीय कर्तव्य का पालन करते हुए उसने अपने कर्तव्य से अधिक कार्य किया है, लेकिन कार्य और पदीय कर्तव्य के पालन के बीच उचित संबंध है, तो अधिकता लोक सेवक को संरक्षण से वंचित करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं होगी। (गणेश चंद्र यहूदी) यदि उपरोक्त परीक्षण वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू होते हैं, तो पुलिस को संहिता की धारा 197 के तहत सुरक्षा मिलनी चाहिए क्योंकि जिन कृत्यों की शिकायत की गई है, वे उनके पद से इतने अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं या उनसे जुड़े हुए हैं कि वे उससे अविभाज्य हैं। हमारे लिए इस निष्कर्ष पर पहुंचना संभव नहीं है कि इस मामले में पुलिस कर्मियों द्वारा संहिता की धारा 197 के तहत दी गई सुरक्षा का इस्तेमाल मृतक की निर्मम हत्या करने के लिए किया गया है।

30. अब हमें श्री गोंसाल्वेस के इस कथन पर विचार करना चाहिए कि स्वीकृति के प्रश्न का अध्ययन शिकायत के संदर्भ में किया जाना चाहिए, न कि अभियुक्त द्वारा आत्मरक्षा की दलील पेश करने के लिए प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के संदर्भ में। इस कथन के समर्थन में, श्री गोंसाल्वेस ने होरी राम सिंह पर बहुत अधिक भरोसा किया। उस मामले में, संघीय न्यायालय भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 270(1) में वर्णित "क्राउन के सेवक के रूप में कर्तव्य के निष्पादन में किया गया या किया जाने का तात्पर्यित कार्य" अभिव्यक्ति पर विचार कर रहा था। संघीय न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियाँ महत्वपूर्ण हैं:

> "चूंकि धारा 270(1) में प्रावधानित राज्यपाल की सहमति किसी लोक सेवक के विरुद्ध कार्यवाही शुरू करने के लिए एक पूर्व शर्त है, इसलिए ऐसी सहमति की आवश्यकता को उस मामले पर निर्भर नहीं बनाया जा सकता है जिसे अभियुक्त या प्रतिवादी कार्यवाही शुरू होने के बाद आगे रख सकता है, बल्कि इसे मुकदमे या आपराधिक कार्यवाही में लोक सेवक के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की प्रकृति के संदर्भ में निर्धारित किया जाना चाहिए। यदि इन आरोपों को प्रतिवादी या अभियुक्त द्वारा "क्राउन के सेवक के रूप में" अपने कर्तव्य के निष्पादन में किए गए या किए जाने का दावा किए गए किसी कार्य से संबंधित नहीं माना जा सकता है, तो

कार्यवाही शुरू करने के लिए अधिकारियों की सहमति, प्रथम दृष्टया, आवश्यक नहीं होगी। यदि, परीक्षण के दौरान, जो कुछ भी साबित किया जा सकता है, वह केवल "अपने कर्तव्य के निष्पादन में" उसने जो किया या करने का दावा किया, उससे संबंधित पाया जाता है, तो कार्यवाही गुण-दोष के आधार पर विफल हो जाएगी, जब तक कि न्यायालय संतुष्ट न हो जाए कि शिकायत किए गए कार्य सद्भावनापूर्ण नहीं थे। अन्यथा भी, यदि साक्ष्य केवल आधिकारिक कृत्यों को ही स्थापित करते हैं, तो राज्यपाल की सहमति के अभाव में कार्यवाही विफल हो जाएगी।"

31. माताजोग डोबे मामले में, इस न्यायालय की संविधान पीठ इस बात पर विचार कर रही थी कि दंड प्रक्रिया संहिता (1898 का अधिनियम v) की धारा 197 में वर्णित "किसी अपराध का, जो उसके द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में कार्य करते समय या कार्य करने का अभिप्राय रखते हुए किया गया है" जैसी कुछ हद तक समान अभिव्यक्ति का दायरा और अर्थ क्या है। संविधान पीठ ने टिप्पणी की कि धारा 197 के अंतर्गत मंजूरी का कोई प्रश्न तब तक नहीं उठता जब तक कि शिकायत किया गया कार्य अपराध न हो; निर्धारित करने का एकमात्र बिंदु यह है कि क्या यह आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में किया गया था। इस प्रश्न पर कि कौन सा कार्य उपर्युक्त अभिव्यक्ति के दायरे में आता है, संविधान पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि कार्य और आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन के बीच एक उचित संबंध होना चाहिए; कार्य का कर्तव्य से ऐसा संबंध होना चाहिए कि अभियुक्त एक उचित, लेकिन दिखावा या काल्पनिक दावा नहीं कर सके कि उसने अपने कर्तव्य के निष्पादन के दौरान ऐसा किया। इस प्रश्न पर विचार करते हुए कि क्या शिकायत दर्ज होते ही मंजूरी की आवश्यकता पर विचार किया जाना चाहिए और उसमें निहित आरोपों पर, संविधान पीठ ने होरी राम सिंह का संदर्भ दिया और कहा कि पहली नज़र में ऐसा लगता है कि होरी राम सिंह में इस दृष्टिकोण के लिए कुछ समर्थन है क्योंकि सुलेमान, जे. ने उक्त निर्णय में देखा है कि चूंकि निषेध संस्था के विरुद्ध है, इसलिए इसकी प्रयोज्यता का निर्णय संस्था के आरंभिक चरण में ही किया जाना चाहिए और वरदाचारी, जे. ने यह भी कहा है कि इस प्रश्न का निर्धारण आपराधिक कार्यवाही में लोक सेवक के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की प्रकृति के संदर्भ में किया जाना चाहिए। यह ध्यान देने योग्य है कि संविधान पीठ ने आगे यह भी कहा है कि निर्णय के बाद के भागों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने पर पता चलता है कि विद्वान न्यायाधीशों का ऐसा कोई प्रस्ताव रखने का इरादा नहीं था। संविधान पीठ ने निर्णय के बाद के भागों को इस प्रकार उद्धृत किया:

"सुलेमान, जे. (पृष्ठ 179 पर) अभियोजन पक्ष के मामले का उल्लेख करते हैं जैसा कि शिकायत या पुलिस रिपोर्ट द्वारा प्रकट किया गया है और वे इन शब्दों में चर्चा समाप्त करते हैं: "निःसंदेह, यदि प्रस्तुत मामला विफल हो जाता है या बचाव पक्ष यह स्थापित कर देता है कि कथित कार्य कर्तव्य के निष्पादन में किया गया है, तो कार्यवाही को समाप्त करना होगा और उस आधार पर शिकायत को खारिज करना होगा"। अन्य विद्वान न्यायाधीश भी पृष्ठ 185 पर कहते हैं, "इस स्तर पर हमें केवल यह देखना है कि अपीलकर्ता के विरुद्ध आरोपित या उसके

विरुद्ध सिद्ध किया जाने वाला मामला उसके द्वारा अपने कर्तव्य के निष्पादन में किए गए या किए जाने का प्रकल्पित कार्यों से संबंधित है या नहीं"। ऐसा होना ही चाहिए। कार्यवाही के किसी भी चरण में प्रश्न उठ सकता है। शिकायत में यह प्रकट नहीं किया जा सकता है कि अपराध का गठन करने वाला कार्य आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में किया गया था या किए जाने का प्रकल्पित था; लेकिन बाद में पुलिस या न्यायिक जांच या यहां तक कि मुकदमे में अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के दौरान प्रकाश में आने वाले तथ्य मंजूरी की आवश्यकता को स्थापित कर सकते हैं। मंजूरी आवश्यक है या नहीं, इसका निर्धारण चरण दर चरण करना होगा। मामले की प्रगति के दौरान इसकी आवश्यकता स्वयं ही सामने आ सकती है।"

इस प्रकार संविधान पीठ ने उपरोक्त पैराग्राफ में कानूनी स्थिति तय कर दी है। मंजूरी आवश्यक है या नहीं, इसका निर्धारण चरण दर चरण करना होगा। यदि बचाव पक्ष शुरू में ही यह स्थापित कर देता है कि किया गया कथित कार्य आधिकारिक कर्तव्य के निष्पादन में किया गया है, तो शिकायत को उस आधार पर खारिज करना होगा।

32. राज किशोर रॉय में, अपीलकर्ता ने प्रतिवादी 1 के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी, जो एक पुलिस अधिकारी था कि उसने उस पर हमला किया और उसके खिलाफ झूठे आरोप लगाए। न्यायिक मजिस्ट्रेट, भागलपुर ने समन जारी किया। प्रतिवादी 1 ने इस आधार पर समन जारी करने के आदेश को रद्द करने के लिए याचिका दायर की कि संहिता की धारा 197 के तहत मंजूरी नहीं ली गई है। उच्च न्यायालय ने उक्त आदेश को इस आधार पर रद्द कर दिया कि प्रतिवादी 1 पर मुकदमा चलाने की कोई मंजूरी नहीं थी। इसके समक्ष तथ्यों में, इस अदालत ने देखा कि यह प्रश्न कि क्या प्रतिवादी 1 ने अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए काम किया, संक्षिप्त तरीके से तय नहीं किया जा सकता था। इस अदालत ने कहा कि यह अपीलकर्ता का मामला था कि प्रतिवादी 1 एक अवैध हथियार और कारतूस लाया था इस न्यायालय ने टिप्पणी की कि यह ऐसा मामला है जिसमें अभियोजन पक्ष को साक्ष्य के आधार पर अपना मामला स्थापित करने का अवसर दिया जाना चाहिए तथा बचाव पक्ष को यह स्थापित करने का अवसर दिया जाना चाहिए कि वह अपने कर्तव्य के आधिकारिक क्रम में कार्य कर रहा था। इस प्रकार स्पष्ट संकेत है कि इस न्यायालय ने अपने अवलोकन को अपने समक्ष मौजूद तथ्यों तक ही सीमित रखा है। यह ध्यान देने योग्य है कि इस न्यायालय ने माताजोग डोबे में संविधान पीठ के निर्णय का संदर्भ दिया तथा टिप्पणी की कि उस मामले में संविधान पीठ ने माना है कि संहिता की धारा 197 के तहत मंजूरी की आवश्यकता शिकायत दर्ज होते ही तथा उसमें निहित आरोपों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है तथा यह प्रश्न कार्यवाही के किसी भी चरण में उठ सकता है।

33. पुखराज मामले में, अपीलकर्ता, जो जोधपुर के प्रधान डाकघर में क्लर्क था, ने प्रतिवादी 2, जो राजस्थान के पोस्ट मास्टर जनरल थे, के खिलाफ आईपीसी की धारा 323 और 502 के तहत अपराध का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। प्रतिवादी 2 ने एक आवेदन दायर किया जिसमें प्रार्थना की गई कि अदालत को सरकार की मंजूरी के बिना अपराध का संज्ञान नहीं लेना चाहिए क्योंकि कथित कार्य, यदि उसके द्वारा किए गए थे, तो एक लोक सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए किए गए

थे। राजस्थान उच्च न्यायालय ने माना कि प्रतिवादी 2 पर तब तक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता जब तक कि केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी प्राप्त न हो जाए। संज्ञान लेने के आदेश को रद्द कर दिया गया। इस अदालत ने होरी राम सिंह के साथ-साथ माताजोग डोबे का भी उल्लेख किया। इस अदालत ने दोहराया कि मंजूरी आवश्यक है या नहीं, इसका फैसला चरण दर चरण करना पड़ सकता है लेकिन मामले के तथ्यों को देखते हुए, इस अदालत ने उच्च न्यायालय के आदेश को खारिज कर दिया।

34. नागराज मामले में, उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ अपील की गई थी जिसमें सत्र न्यायाधीश शिमोगा डिवीजन द्वारा किए गए संदर्भ को खारिज कर दिया गया था, जिसमें मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त को आईपीसी की धारा 307 और 326 के तहत अपराधों के सत्र परीक्षण के लिए सौंपने के आदेश को इस आधार पर रद्द करने की सिफारिश की गई थी कि मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता 1898 की धारा 132 और 197 के प्रावधानों के मद्देनजर राज्य सरकार की मंजूरी के बिना अपराधों का संज्ञान नहीं ले सकता था। इसमें अपीलकर्ता एक सब-इंस्पेक्टर था। उसने एक अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर थिम्मा नामक व्यक्ति की बुरी तरह पिटाई की थी और अन्य व्यक्तियों पर रिवॉल्वर से बेतहाशा गोलियां चलाई थीं। यह तर्क दिया गया कि यदि शिकायत दर्ज होने पर या जब अभियुक्त यह आरोप लगाता है कि सरकार की मंजूरी के बिना कथित अपराधों के लिए उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, तो मंजूरी के प्रश्न पर निर्णय नहीं लिया जाता है, तो कानून द्वारा दी गई सुरक्षा निरर्थक हो जाएगी, क्योंकि इस सुरक्षा को देने का उद्देश्य यह है कि पुलिस अधिकारी को किसी तुच्छ शिकायत से परेशान न किया जाए। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस न्यायालय ने अपने समक्ष विशिष्ट तथ्यों के संदर्भ में यह उल्लेख किया कि अभियुक्त को कुछ इस तरह से परेशान किया जा सकता है, लेकिन आरोपित परिस्थितियों में यह मानने का कोई साधन नहीं था कि अपीलकर्ता का अभियोजन इस तरह की कार्रवाई के संबंध में था, क्योंकि शिकायत में उस तथ्य को इंगित करने वाली आवश्यक परिस्थितियों का खुलासा नहीं किया गया था और अभियुक्त के केवल शब्दों को अन्यथा मानने के लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह इस पृष्ठभूमि में है कि न्यायालय ने टिप्पणी की कि शिकायत के साथ आगे बढ़ने के लिए इस न्यायालय का अधिकार क्षेत्र शिकायत में जो आरोपित किया गया है, उससे उत्पन्न होता है, न कि दर्ज किए गए साक्ष्य के परिणामस्वरूप शिकायत में अंततः जो स्थापित होता है, उससे। इस न्यायालय ने माताजोग डोबे मामले में संविधान पीठ के फैसले का संदर्भ दिया, जिसमें कहा गया है कि मंजूरी आवश्यक है या नहीं, इसका निर्धारण चरण दर चरण किया जाना चाहिए। हमारी राय में, इस न्यायालय का यह अवलोकन कि अपीलकर्ता-पुलिस अधिकारी द्वारा लगाया गया मात्र आरोप कि उसके द्वारा की गई कार्रवाई उसके कर्तव्य के पालन में थी, न्यायालय को उसकी शिकायत को खारिज करने के लिए बाध्य नहीं करेगा, जिसका उसने शिकायत में आरोपों के आधार पर उचित रूप से संज्ञान लिया था, मामले के विशिष्ट तथ्यों के विरुद्ध पढ़ा जाना चाहिए, न कि माताजोग डोबे मामले में संविधान पीठ द्वारा निर्धारित कानून के विपरीत कुछ कहने के रूप में।

35. अब्दुल वहाब अंसारी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में, यह न्यायालय फिर से इस प्रश्न पर विचार कर रहा था कि संहिता की धारा 197 (1) के अंतर्गत स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता की दलील कब उठाई जा सकती है। इस न्यायालय ने दोहराया कि सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान लेने के लिए एक पूर्व शर्त है, यदि अभियुक्त द्वारा कथित रूप से किया गया अपराध उसके आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में किया गया कार्य कहा जा सकता है, तो यह प्रश्न संज्ञान लेने के मामले में मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र को छूता है और इसलिए, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि अभियुक्त को आरोप तय होने तक ऐसी दलील लेने के लिए प्रतीक्षा करनी चाहिए।

36. हमारी राय में शंकरन मोइत्रा ने यदि कोई संदेह है तो उसे समाप्त कर दिया है। उस मामले में शिकायतकर्ता ने पुलिस उपायुक्त के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी कि उसे लोगों से पता चला है कि उसके पति को पुलिस ने पीट-पीटकर मार डाला है। उसने सहायक पुलिस आयुक्त और अन्य पुलिसकर्मियों को आरोपी बनाया और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की प्रार्थना की। आरोपी 1 ने उच्च न्यायालय के समक्ष धारा 482 के तहत शिकायत को इस आधार पर खारिज करने के लिए याचिका दायर की कि धारा 197(1) के तहत मंजूरी के अभाव में शिकायत पर विचार नहीं किया जा सकता था। उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी। इस न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया गया कि धारा 197 के तहत मंजूरी के अभाव में न्यायालय के आगे बढ़ने के अधिकार क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन यह अभियुक्त के लिए उपलब्ध बचावों में से केवल एक है और अभियुक्त उचित चरण में बचाव कर सकता है। इस न्यायालय ने होरी राम सिंह, माताजोग डोबे में संविधान पीठ के फैसले और इस मुद्दे पर कई अन्य निर्णयों पर विचार किया और उक्त प्रस्तुति को खारिज कर दिया। हमें प्रासंगिक पैराग्राफ को पुन: प्रस्तुत करना होगा।

> "शिकायतकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि संहिता की धारा 197(1) के तहत मंजूरी न मिलने से न्यायालय के आगे बढ़ने के अधिकार क्षेत्र पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन यह अभियुक्त के लिए उपलब्ध बचावों में से केवल एक था और अभियुक्त उचित समय पर बचाव कर सकता है। हम इस दलील को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हैं। धारा 197(1), इसके शुरुआती शब्द और इसके द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य, और पहले उद्धृत इस न्यायालय के निर्णय स्पष्ट रूप से संकेत देते हैं कि उस प्रावधान द्वारा प्रभावित अभियोजन पक्ष को बिना विचारित मंजूरी के शुरू नहीं किया जा सकता है। यह एक पूर्व शर्त है, जैसा कि यह प्रावधान आकर्षित होने पर किसी लोक सेवक के सफल अभियोजन के लिए है, हालांकि यह प्रश्न आवश्यक रूप से आरंभ में नहीं, बल्कि बाद के चरण में भी उठ सकता है। इसलिए हम इस प्रश्न पर निर्णय स्थगित करने के अनुरोध को स्वीकार नहीं कर सकते।"

इस न्यायालय ने यह भी कहा कि संहिता की धारा 197(1) की प्रयोज्यता या अन्यथा पर निर्णय स्थगित करने से केवल निचली अदालत में कार्यवाही को लंबा खींचा जा सकता है और इस मामले की परिस्थितियों को देखते हुए इस न्यायालय द्वारा अभी निर्णय

लेना अधिक उपयुक्त होगा, खासकर तब जब इसमें शामिल आरोपी पुलिस कर्मी हों और की गई शिकायत की प्रकृति को ध्यान में रखा जाए।

37. इस चर्चा का निष्कर्ष यह है कि मंजूरी आवश्यक है या नहीं, इसका निर्णय हर चरण में किया जाना चाहिए। यह प्रश्न कार्यवाही के किसी भी चरण में उठ सकता है। किसी भी मामले में, यह शुरू में ही उठ सकता है। रिकॉर्ड पर ऐसी अकाट्य और निर्विवाद परिस्थितियाँ हो सकती हैं, जो शुरू में ही यह स्थापित कर सकती हैं कि पुलिस अधिकारी या लोक सेवक अपने आधिकारिक कर्तव्य के पालन में काम कर रहा था और वह संहिता की धारा 197 के तहत दी गई सुरक्षा का हकदार है। हमारे लिए यह मानना संभव नहीं है कि ऐसे मामले में, अदालत शुरू में अभियुक्त या संबंधित लोक सेवक द्वारा प्रस्तुत किसी भी दस्तावेज़ पर गौर नहीं कर सकती। शिकायत की प्रकृति को ध्यान में रखना होगा। यह याद रखना चाहिए कि अपराध का संज्ञान लेने के लिए पूर्व मंजूरी एक पूर्व शर्त है और इसलिए, यह कोई आवश्यकता नहीं है कि अभियुक्त को यह दलील उठाने के लिए आरोप तय होने तक इंतजार करना चाहिए। इस बिंदु पर, किसी भी गलतफहमी की संभावना को बाहर करने के लिए, हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि मंजूरी की आवश्यकता पर कानूनी चर्चा निर्णय के पहले भाग में दिए गए निष्कर्ष पर आधारित है कि वर्तमान मामला ऐसा नहीं है जिसमें पुलिस को मुन्ना सिंह को फर्जी मुठभेड़ में मारने का दोषी ठहराया जा सके। ऐसे मामले में जहां तथ्यों के आधार पर अदालत को लग सकता है कि किसी व्यक्ति को पुलिस ने एक सुनियोजित मुठभेड़ में मार दिया था, स्थिति पूरी तरह से अलग हो सकती है।

38. पुलिस अधिकारियों का यह कर्तव्य नहीं है कि वे अभियुक्त को केवल इसलिए मार डालें क्योंकि वह एक खूंखार अपराधी है। निस्संदेह, पुलिस को अभियुक्त को गिरफ्तार करना चाहिए और उन पर मुकदमा चलाना चाहिए। इस न्यायालय ने बार-बार उन पुलिस कर्मियों को फटकार लगाई है जो अपराधियों को मार गिराते हैं और घटना को मुठभेड़ के रूप में पेश करते हैं। ऐसी हत्याओं की निंदा की जानी चाहिए। उन्हें हमारे आपराधिक न्याय प्रशासन प्रणाली द्वारा कानूनी रूप से मान्यता नहीं दी गई है। वे राज्य प्रायोजित आतंकवाद के समान हैं। लेकिन, इस तथ्य से कोई अनभिज्ञ नहीं हो सकता है कि ऐसे मामले हैं जहां पुलिस, जो अपना कर्तव्य निभा रही है, पर हमला किया जाता है और उसे मार दिया जाता है। ऐसी घटनाओं में वृद्धि हुई है और इस तथ्य का न्यायिक संज्ञान लिया जाना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में, जबकि पुलिस को अपराधियों को गिरफ्तार करने का अपना कानूनी कर्तव्य निभाना होता है, उन्हें खुद की रक्षा भी करनी होती है। अभियोजन के लिए मंजूरी की आवश्यकता पुलिसकर्मियों को सुरक्षा प्रदान करती है, जिन्हें कभी-कभी लोगों की जान और संपत्ति की रक्षा करने और हमले से खुद को बचाने के लिए अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है। जब तक कि रिकॉर्ड पर यह साबित करने के लिए कोई सबूत न हो कि उनकी कार्रवाई अक्षम्य, दुर्भावनापूर्ण और प्रतिशोधी है, तब तक उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी एक पूर्व शर्त होनी चाहिए। यह ऐसे पुलिस कर्मियों को आवश्यक सुरक्षा प्रदान करता है। मंजूरी के बारे में दलील शुरू में ही उठाई जा सकती है।

39. हमारे विचार में, ऊपर चर्चा किए गए तथ्यों के मद्देनजर, इस मामले में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि पुलिस की कार्रवाई अक्षम्य या प्रतिशोधात्मक है या पुलिस अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में काम नहीं कर रही थी। झंडू फार्मास्युटिकल वर्क्स लिमिटेड में, इस न्यायालय ने माना है कि संहिता की धारा 482 के तहत शक्ति का इस्तेमाल अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए संयम से और सावधानी से किया जाना चाहिए, लेकिन वैध अभियोजन को बाधित करने के लिए नहीं। इस पर कोई दो राय नहीं हो सकती है, लेकिन, अगर प्रशिक्षित न्यायिक दिमाग को लगता है कि अभियोजन जारी रखने से अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा, तो संहिता की धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए और कार्यवाही को रद्द किया जाना चाहिए। वास्तव में, तत्काल मामला ऐसे मामलों में से एक है जहां पुलिस कर्मियों के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही को रद्द करने की आवश्यकता है। परिस्थितियों में, हम शिकायतकर्ता कैलाशपति सिंह द्वारा दायर अपील को खारिज करते हैं। हम ओम प्रकाश, प्रदीप कुमार, श्याम बिहारी सिंह और भरत शुक्ला द्वारा दायर अपील को स्वीकार करते हैं और इस हद तक विवादित आदेश को खारिज करते हैं कि यह उनके द्वारा दायर आपराधिक विविध याचिका संख्या 822/2005 को खारिज करता है, जिसमें उनके खिलाफ शिकायत मामले संख्या 731/2004 में न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, जमशेदपुर द्वारा पारित दिनांक 14/06/2005 के आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी। हम न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, जमशेदपुर की फाइल पर लंबित शिकायत मामले संख्या 731/2004 को रद्द करते हैं।

के.के.टी. **अपील का निपटारा किया गया।**

<u>यह अनुवाद अधिवक्ता ज्ञान रंजन, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।</u>